ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राजू	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री कुशल कुमार	23.1.16 31.3.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सपना	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत दरगेला के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	₹ लाखों में
1	8	खाता ख में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित न करने बारे	0.19
2	9	अनुदान का उपयोग न करने बारे	11.28
3	10	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	5.23

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 8.11.16 से 18.11.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 12/13, 1/15 व 7/15 तथा 12/13, 2/15 व 8/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 188 दिनांक 18.11.16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दरगेला से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत दरगेला द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत दरगेला के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	352812	572902	925714	604402	321312
2014–15	321312	869311	1190623	487367	703256
2015–16	703256	286437	989693	930406	59287

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत दरगेला के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	86024	2580970	2666994	2594115	72879
2014–15	72879	1728460	1801339	1741160	60179
2015–16	60179	2141318	2201497	1072644	1128853
		स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)			₹1188140

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि	बैंक के0सी0सी0 रैत में खाता सं0	राशि
1	सभा निधि SDP, GRDY	20040016683	59287
2	VHSC	50055721324	2545
3	RAY	5005721379	166
4	13th Finance	50055721288	1075458
5	3rd Finance	50055721299	481
6	TSC	50055721302	49682
7	IAY	50055721335	521
8	Manrega	20040018262	Nil
		कुल	₹1188140

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की

जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 खाता "ख" में अर्जित ₹0.19 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		अवधि		
खाता संख्या	**2013—14**	**2014—15**	**2015—16**	**कुल ब्याज (₹)**
50055721324	351	95	99	545
50055721329	58	102	6	166
50055721288	584	889	5117	6590
50055721299	407	62	124	593
50055721302	1183	1948	2386	5517

50055721335	74	715	20	809
20040018262	4694	328	—	5022
जोड़	**7351**	**4139**	**7752**	**19242**

9 अनुदान ₹11.28 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1128853 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.23 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹523869 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹18.50 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹18.50 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों को बिना सहभागी समिति के गठन

निष्पादित करने के कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में प्रत्येक कार्य का निष्पादन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

12 नियमों के विरूद्ध आठ बैंक खातों का खोला जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार आठ बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14 स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का उचित रख रखाव न करने बारेः—

क्रय की गई योग्य/अनुभोज्य सामग्री का लेखांकन पूर्ण विवरण सहित स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में किया जाना अपेक्षित है। क्रय की गई प्रत्येक मद का इन्द्राज अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए ताकि क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की मात्रा, उसका मूल्य, बिल संख्या का पूर्ण विवरण अभिलेख से स्वः स्पष्ट हो सके परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किए गए सामान का

इन्द्राज करते समय पूर्ण विवरण व सामग्री उपयोग का अिभलेख सही ढ़ंग से तैयार नहीं किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग अलग पृष्ठ पर प्रविष्टियाँ कर व उपयोग विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए। **परिशिष्ट 4** में वर्णित सामान का इन्द्राज/उपयोग लेखा भी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 66/2016—खण्ड—1—1741—1744 दिनाँकः05.03.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

ग्राम पंचायत दरगेला विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा–10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सामान्य	28/25.6.13	श्री नरेश कुमार द्वारा सप्लाई किए गए रेत, शटरिंग आदि का भुगतान	7190
2	सामान्य	29/25.6.13	–यथोपरि–	53900
3	मनरेगा	89/16.11.13	श्री कुलवन्त द्वारा रेत, बजरी, शटरिंग आदि की सप्लाई का भुगतान	22380
4	मनरेगा	90/16.11.13	–यथोपरि–	24459
5	मनरेगा	92/16.11.13	–यथोपरि–	21630
6	मनरेगा	95/19.11.13	श्री नरेश कुमार द्वारा रेत, शटरिंग आदि की सप्लाई	27450
7	मनरेगा	122/9.12.13	–यथोपरि–	43712
8	मनरेगा	130/23.12.13	–यथोपरि–	26075
9	मनरेगा	45/9.10.14	श्री कुलवन्त द्वारा रेत, बजरी की सप्लाई का भुगतान	18390
10	मनरेगा	58/19.2.15	–यथोपरि–	9500
11	मनरेगा	59/19.2.15	–यथोपरि–	18850
12	मनरेगा	30/25.8.15	श्री पाल सिंह द्वारा रेज, बजरी आदि की सप्लाई का भुगतान	12825
13	मनरेगा	34/25.8.15	–यथोपरि–	17950
14	मनरेगा	36/25.8.15	–यथोपरि–	26250
15	सामान्य	27/23.9.13	मै0 केवल सिंह राणा फर्नीचर इन्डस्ट्रीज द्वारा सप्लाई दरवाजे गलेज अलमारी पल्ले आदि का भुगतान	25500
16	सामान्य	42/8.1.15	श्री नरेश कुमार द्वारा रेत, बजरी आदि की सप्लाई का भुगतान	15000
17	सामान्य	43/16.1.15	श्री कुलवन्त ट्रैक्टर द्वारा रेत, बजरी आदि का भुगतान	18000
18	सामान्य	48/23.1.15	मै0 सूर्य शक्ति एनर्जी शिष्टम द्वारा सप्लाई सोलर लाईटें	76468
19	सामान्य	52/21.2.15	मै0 शर्मा उत्तम चन्द अनूप नाग द्वारा सैनीटरी के सामान का भुगतान	19140
20	सामान्य	51–52/27.8.52	मै0 सूर्य शक्ति इनर्जी शिष्टम सप्लाई 2 सोलर लाईटें	39200
				250333
			कुल	**₹523869**

ग्राम पंचायत दरगेला विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(परिशिष्ट–3) (पैरा–11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम/विवरण	राशि
1	सामान्य	निर्माण समुदायक भवन दरगेला	500000
2	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से जगदेव पठानिया के घर तक	400000
3	मनरेगा	निर्माण कूहल कथरेड से कश्मीर के घर तक	200000
4	मनरेगा	निर्माण नालिया संसार चन्द के घर से सुहडी तक	150000
5	मनरेगा	निर्माण कूहल हुकमी राम के घर के पास	150000
6	मनरेगा	निर्माण पुली जगदीश शर्मा के घर के पास	450000
		कुल	**₹1850000**

ग्राम पंचायत दरगेला विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा स्टोर/स्टॉक का उचित रख रखाव न करने बारे

(परिशिष्ट–4) (पैरा–14 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि
1	सामान्य	16/27.6.13	मै0 डिम्पल बुक डिपु से स्टेशनरी की खरीद	1500
2	सामान्य	26/1/21.9.13	मै0 गरहेशवरी प्रिटिंग प्रैस से स्टेशनरी की खरीद	1100
3	सामान्य	26/2/21.9.13	मै0 डिम्पल बुक डिपु से स्टेशनरी की खरीद	850
4	सामान्य	31/5.11.13	मै0 राकेश हार्डवेयर से सफेदी व पेंटिंग का सामान	6063
5	सामान्य	36/21.11.3	–यथोपरि–	5668
6	सामान्य	28/9.12.14	मै0 डिम्पल बुक डिपु से स्टेशनरी की खरीद	925
			कुल	**₹16106**